न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/149

1. प्रहलाद पुत्र श्री नारायण जाति मीणा ।
2. राजाराम उर्फ राजूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामफूल पुत्र श्री सोराम जाति मीणा निवासी ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 21.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गंभीरा तहीसल नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 326 में खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.8122 हैक्टर भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.5663 हैक्टर, खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.4611 हैक्टर, खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.0647 हैक्टर भूमि सिवायचक भूमि है । खसरा नम्बर 1134 के लगवा खसरा नम्बर 1132 किस्म गै0मु0 रास्ता है लेकिन उक्त रास्ते पर काफी मकान आदि बन चुके हैं और वर्तमान में आबादी बसी हुई है । उक्त रास्ता काफी वर्षों पहले ही बन्द हो चुका है । प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की भूमि से गंभीरा समीधी जाने वाली आम सडक के दक्षिण ओर खसरा नम्बर 1130, 1131, 1132 की भूमियों में होता हुआ

नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित रास्ते से आता–जाता है । उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नहीं है । प्रार्थी का खसरा नम्बर 1130, 1131, 1132 में होकर 25 फीट चौडा तथा उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा नम्बर 1134 तक पहुंचने का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1130, 1131, 1132 में होकर 25 फीट चौडा तथा उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 1134 में पहुचंने के एक मात्र रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में कीमतन दर्ज किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.8122 हैक्टर भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 1131 सिवायचक भूमि में से लम्बाई 13 गठ्ठा एवं चौडाई 2 गठ्ठा कुल 26 वर्ग गट्ठा भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेस, जिसे परिशिष्ट "अ" में नाम दिया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कहीं भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी कि रेस्पोडेन्ट कम 01 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1134 के लगवा खसरा नम्बर 1132 गै0मु0 रास्ता बन्द हो गया हो और रेस्पोडेन्ट कम 01 उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग नहीं कर रहा हो । इसके अलावा स्वयं रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा भी किसी दस्तावेजी व अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से यह साबित नही किया गया था कि रेस्पोडेन्ट कम 01 को खसरा नम्बर 1131 गै0मु0 रास्ते उपलब्ध न हो और रेस्पोडेन्ट कम 01 अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 एवं 1130 से होकर किसी रास्ते का उपयोग करता हो किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1126, 1127 एवं 1128 में दखलन्दाजी करते हुए जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.06.2022 को हुई जिस पर दिनांक 23.06.2022 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय

हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 अपनी खाते की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.8122 वाके ग्राम गंभीरा पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 1132 गै0मु0 रास्ता से होकर पहुंचता है और उक्त रास्ते ही अपनी आराजी पर कृषि उपकरण वाहन आदि ले जाता है । उक्त खसरा नम्बर 1132 का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है । उक्त खसरा नम्बर 1132 गै0मु0 रास्ता है जो कभी भी बन्द नहीं हुआ । खसरा नम्बर 1131 सिवायचक भूमि व खसरा नम्बर 1130 गै0मु0 नाले के पश्चात् अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1126, 1127, व 1128 स्थित है । खसरा नम्बर 1131 के पश्चात् कोई भी रास्ता व सडक विद्यमान नहीं है । बल्कि उसके पश्चात् तो अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी स्थित है जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट है । रेस्पोडेन्ट कम 01 की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1134 पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 1131, 1130 से होकर अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1126, 1127 एवं 1128 में कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1126, 1127 एवं 1128 में से जबरदस्ती रास्ता निकालने के आशय से पूर्णतया गुपचुप तरीके से और मौके की वास्तविक स्थिति व तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया । उक्त अपीलाधीन निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट कम 01 आराजी खसरा नम्बर 1131 व गै0मु0 नाले की आराजी खसरा नम्बर 1130 अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 में से भी जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा हो रहा है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जिसमें होकर रास्ता कायम किया गया है वह राजकीय सिवायचक भूमि है उक्त भूमि से अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गंभीरा तहीसल नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 326 में खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.8122 हैक्टर भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.5663 हैक्टर, खसरा नम्बर 1131 रकबा 0.4611 हैक्टर, खसरा नम्बर 1132 रकबा 0.0647 हैक्टर भूमि सिवायचक भूमि है । खसरा नम्बर

1134 के लगवा खसरा नम्बर 1132 किस्म गै0मु0 रास्ता है लेकिन उक्त रास्ते पर काफी मकान आदि बन चुके हैं और वर्तमान में आबादी बसी हुई है । उक्त रास्ता काफी वर्षों पहले ही बन्द हो चुका है । प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकार की भूमि से गंभीरा समीधी जाने वाली आम सडक के दक्षिण ओर खसरा नम्बर 1130, 1131, 1132 की भूमियों में होता हुआ नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित रास्ते से आता–जाता है । उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का नहीं है । प्रार्थी का खसरा नम्बर 1130, 1131, 1132 में होकर 25 फीट चौडा तथा उत्तर दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में खसरा नम्बर 1134 तक पहुंचने का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2022 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम गंभीरा तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 1134 रकबा 1.8122 हैक्टर भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 1131 सिवायचक भूमि में से लम्बाई 13 गठ्ठा एवं चौडाई 2 गठ्ठा कुल 26 वर्ग गट्ठा भूमि प्रस्तावित रास्ते के नक्शा ट्रेस, जिसे परिशिष्ट "अ" में नाम दिया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 दर्ज है । धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का कथन है कि अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 में जबदस्ती रास्ता निकालने पर आमदा है । अतः उक्त निर्णय से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि से कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में केवल 1131 सिवायचक भूमि में से लम्बाई 13 गठ्ठा एवं चौडाई 2 गट्ठा कुल 26 वर्ग गठ्ठा भूमि रास्ते हेतु दर्ज करने का निर्णय में अंकन किया है । निर्णय में कहीं भी अपीलान्ट की भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार का रास्ता या अन्य उपयोग के लिए जाने का कोई वर्णन नहीं है । मौका रिपोर्ट भी तहसीलदार नैनवा द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनवा को प्रेषित की गई है । तहसीलदार नैनवा, जो कि लैण्ड होल्डर की भूमिका में है, उनके द्वारा भी सिवायचक भूमि में से रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई । अतः हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की भूमि में से कोई रास्ता नहीं दिया गया है तथा न ही अपीलान्ट की भूमि इस रास्ते से प्रभावित है । अपीलान्ट यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि वे उक्त निर्णय से किस प्रकार से प्रभावित हैं ? उपर्युक्त स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है । चूँकि धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार योग्य नहीं है तो ऐसी अवस्था में धारा 05 मियाद अधिनियम तथा अपील में गुणावगुण पर निर्णय का कोई औचित्य नहीं है ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा